न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 03 / 2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भोलाराम पुत्र श्री करनाराम जाति सीरवी निवासी बेरा हड़मान सागर हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण नि. लि. बिलाड़ा 2. प्रेमसिंह पुत्र श्री शेषाराम 3. रतनलाल पुत्र श्री पन्नाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा हाम्बड़ो का उगणिया गैस गोदाम के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 4. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री जोराराम जाति सीरवी निवासी मालियों की ढाणी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री संजय कुमार चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बिलाड़ा में दीवानी मूलवाद संख्या 66 / 2019 पेश किया गया था जो वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 10 (क) सी.पी.सी. के तहत श्रीमान के न्यायालय में पेश करने हेतु दिनांक 15.01.2020 का लौटा दिया गया तथा श्रीमान के न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति हेतु तारीख पेशी 16.01.2020 नियत की गई। वादी का खेत ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 939 / 22 रकबा 5 बीघा में से वादी ने दक्षिण पूर्व की तरफ की जमीन 48 गज लम्बी (उतर से दक्षिण) तथा पूर्व से पश्चिम 10 गज चौड़ी जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 480 वर्गगज का बैचान किया जिसमें खरीददार प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसिह व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता पन्नालाल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता जोराराम को 3 / 5 वॉ हिस्सा बैचान किया एवं 2 / 5 हिस्सा वादी का शेष रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी खसरा नम्बर 939/22 का खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी का कुआ खुदा हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है वादी द्वारा उपरोक्त बैचान की गई भूमि का नामान्तरकरण फ्रेगमेण्ट के कारण नही हो सका। दिनांक 27.09.1988 को वादी द्वारा बैचान की गई उक्त भूमि प्रतितवादी संख्या 2 व 3 ने कुए के 1/5 हिस्से में इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन जरिये बैचान इकरार के पुनः वादी को बैचान कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 4 के पिता जोराराम ने अपने जीवन काल में वादी की उक्त खातेदारी की भूमि में अपना 2/5 हिस्सा वादी को मौखिक रूप से सौप दिया तब से वादी उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि पर एकमात्र मालिक व खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन का एकमात्र मालिक व खातेदार काश्तकार की हैसियत से उपयोग व उपभोग वादी ही शान्तिपूर्ण तरीके से करता आ रहा है तथा विद्युत बिलों का भुगतान वादी ही नियमित रूप से करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन में प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 का किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन का एकमात्र मालिक व खातेदार काश्तकार वादी है उक्त वादग्रस्त भूमि का विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विभाग से उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने पर आमादा है जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व विद्युत कनक्शन में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन का एकमात्र मालिक व खातेदार काश्तकार होने व उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विभाग से उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने पर आमादा है जबकि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मय इम्प्रुमेण्ट व विद्युत कनेक्शन में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। अन्त मे निवेदन किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त सम्पूण कृषि भूमि खसरा नम्बर 939/22 मय इम्प्रुमेण्ट व बिजली कनेक्शन का वादी एकमात्र कामिल मालिक काबिज है।

वादी का वाद [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से राजीनामा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested

आधार का पेश किया गया कि वादी भोलाराम की कृषि भूमि राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 939/22 रकबा 5 बीघा यानि 0.8090 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आई हुई है जिसका एकमात्र खातेदार वादी भोलाराम ही है। वादी का उक्त भूमि में वादी का कुआ खुदा हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। वादी ने उक्त कुए के 1/5 में इम्प्रुमेण्ट मय बिजली कनेक्शन प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 के पिता पन्नालाल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता जोराराम को बैचान कर दिया बाद में दिनांक 07.09.1988 को वादी द्वारा बैचान की गई उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पिता पन्नालाल व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता जोराराम ने पुनः उक्त बैचान इकरार के पुनः वादी को बैचान कर दी है अब उक्त कुए पर लिये गये विद्युत कनेक्शन का एक मात्र मालिक वादी भोलाराम हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है उक्त राजीनामा के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 939/22 की सम्पूर्ण भूमि मय कुए व विद्युत कनेक्शन का एकमात्र मालिक व खातेदार वादी भोलाराम को घोषित कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को किसी प्रकार की कोई आपति नही है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व उसके साथ संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक नही करवाया गया है। इसलिए राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित नही है। इसके अलावा वादी द्वारा खसरा नम्बर 939/22 रकबा 15 बीघा में से 3/5 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसिंह व उसके पिता पन्नेलाल व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता जोराराम को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा दिनांक 24.05.1975 को बैचान कर दिया। जिसके आधार पर उपरोक्त क्रेतागण के नाम म्यूटे”ान नही हुआ। उक्त तथ्य स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वीकार किया है म्यूटे”ान राजकोषीय प्रवृति है जो किसी व्यक्ति को न तो अधिकार देता है व न ही अधिकार समाप्त करता है। वादी के उपरोक्त ख[illegible]ान की भूमि में से 3/5 हिस्से के सम्बंध में खातेदारी अधिकार उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा से समाप्त हो चुके है तथा उपरोक्त क्रेतागण के नाम से मात्र म्यूटे”ान नही होने से वादी को उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested

खसरे की भूमि में से 3/5 हिस्से के सम्बंध में कानूनन अधिकार जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामे को निरस्त नही किया जाता है तब तक प्राप्त नही होते है। इसलिए वादी को बैचानसुदा 3/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित राजीनामा के आधार पर नही किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उक्त खसरे में से 1/5 हिस्से की भूमि बिजली कनेक”ान सहित जरिये बैचान इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 द्वारा पुनः वादी को बैचान कर दी। उक्त बैचान इकरारनामा भी अपंजीबद्ध है, जिसके आधार पर वादी को न तो 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जा सकता है व न ही उक्त बैचान इकरारनामा की पालना सक्षम न्यायालय से करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी विद्युत कनेक”ान के सम्बंध में मालिक घोषित किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा जब तक उक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी विद्युत कनेक”ान को वैद्य दस्तावेज से वादी को अन्तरित नही किया जाता तब तक वादी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में जारी विद्युत कनेक”ान के सम्बंध में कानूनन मालिक घोषित नही किया जा सकता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित नही है तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान का”तकारी अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। मुताबिक निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल”ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भोलाराम पुत्र श्री करनाराम जाति सीरवी निवासी बेरा हड़मान सागर हीरसागर स्कूल के पास पिचियाक, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण नि. लि. बिलाड़ा 2. प्रेमसिंह पुत्र श्री शेषाराम 3. रतनलाल पुत्र श्री पन्नाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा हाम्बड़ो का उगणिया गैस गोदाम के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. भंवरलाल पुत्र स्व. श्री जोराराम जाति सीरवी निवासी मालियों की ढाणी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :— 03/2020

निर्णय **दिनांक :—**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट वादी, प्रतिवादी सं. 1 सहायक अभियंता J.V.V.N.L बिलाडा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री संजय कुमार चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सख्या 4 राजेन्द्र कुमार पटेल मिनजानिब मुददई पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उक्त खसरे में से 1/5 हिस्से की भूमि बिजली कनेक"ान सहित जरिये बैचान इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 द्वारा पुनः वादी को बैचान कर दी। उक्त बैचान इकरारनामा भी अपंजीबद्ध है, जिसके आधार पर वादी को न तो 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जा सकता है व न ही उक्त बैचान इकरारनामा की पालना सक्षम न्यायालय से करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी विद्युत कनेक"ान के सम्बंध में मालिक घोषित किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा जब तक उक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी विद्युत कनेक"ान को वैद्य दस्तावेज से वादी को अन्तरित नही किया जाता तब तक वादी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरे की भूमि के सम्बंध में जारी विद्युत कनेक"ान के सम्बंध में कानूनन मालिक घोषित नही किया जा सकता है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित नही है तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह–सालाना आज को तारीख में तारीख वसूलयाबी तक–की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:59:10 IST
Reason: SelfAttested